FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

महेन्द्र कुमार बनाम कमली देवी वगै0

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु0नं0 977 सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/699

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
04-07-2025	रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री जसवन्त सिंह मीणा उपस्थित। वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 06/08/25 को पेश हो। राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर) पत्रावली पेश हुइ। वकुलाप उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य मे व्यस्त है पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 12/8/25 को पेश हो।	
12/08/2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। अप्रार्थीगण सं0 2, 4 व 7 की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल काजला उपस्थित। प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस वकुलाय उभयपक्ष सुनी गयी। चूंकि प्रार्थी का वाद विभाज़न का पेश किया गया हैं जिसमें उक्त प्रा0 पत्र टी0 आई0 पेश की गई हैं। प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है, तथा प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं किये जाने पर प्रार्थना पत्र का उद्देशय ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर वकुलाय उभयपक्ष को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुये एवं उभय पक्ष के हितो को ध्यान में रखते हुये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि उभय पक्षगान को आगामी तारीख पेशी तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी भूमि ख. नं. 538 ता 540 कुल किता 3 कुल रकबा 1. 89 हेक्टे. अवस्थित ग्राम बासड़ी खुर्द पटवार हल्का बासड़ी खुर्द तहसील नीमकाथाना के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.06 16:55:21 IST
Reason: SelfAttested

उक्त अन्तरिम ट्री.आई आदेश सीमाज्ञान /पत्थरगढी के विधिक आदेश की पालना में एवं रास्ता खुलवाने एवं नवीन रास्ता चाहने, विधुत कनेक्शन देने सम्बंधी विधिक प्रकिया की पालना में लागू नही होगी।

अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय आदेश तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 13.10.2025 को पेश हो।

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

24/9/25

प्रार्थी द्वारा विड्रा किये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र मिसल तलबी पेश करने पर पत्रावली नियत तारीख पेशी से पूर्व आज तलब की गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र बाबत विड्रा करने पर निवेदन किया कि उभय पक्षकारान के मध्य राजीनामा होने पर अब कोई विवाद शेष नही रहा। अतः पत्रावली विड्रा फरमाने की कृपा करें। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत विड्रा करने न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रकरण इसी स्तर पर [illegible] किया जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

महेन्द्र गुर्जर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajve
Yadav
Date: 2025.10.06 15:55:
Reason: SelfAttested